



क्या आपका नियोक्ता **E-VERIFY**
का उपयोग करता है?
आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए

वे नियोक्ता जो रोजगार के लिए आपकी पात्रता जाँचने हेतु E-Verify का उपयोग करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा।

- आप नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करें उससे पहले नियोक्ता को E-Verify का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- नियोक्ता को नौकरी पर रखे गए सभी नये कर्मियों के लिए E-Verify का प्रयोग करना आवश्यक होगा
- यदि E-Verify को आपके और सरकारी रिकॉर्ड्स में कुछ फर्क मिलता है, तो आपके नियोक्ता को आपको उसे ठीक करने का अवसर देना होगा
- किसी फर्क को सही करने के दौरान आप अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं

यहाँ पर और जानकारी प्राप्त करें www.dhs.gov/E-Verify

क्या आपके कोई प्रश्न हैं? ईमेल करें: E-Verify@dhs.gov कॉल करें: ई-वेरिफाय कर्मचारी हॉटलाइन 888-897-7787.



E-VERIFY, DHS और SSA की एक सेवा है